



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2012/ज्येष्ठ 11, 1934

No. 140]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2012/JYAISTHA 11, 1934

भारतीय दंत्य परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

सं. डी.ई.-22-2012.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से भारतीय दंत्य परिषद्, भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 21 नवम्बर, 2007 को प्रकाशित मौजूदा मूल संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 में निम्न संशोधन करती है :—

1. लघु शीर्ष तथा प्रवर्तन

- (i) ये विनियम भारतीय दंत्य परिषद् संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 कहलाएंगे।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से शैक्षणिक सत्र 2013-14 से लागू होंगे।

2. "भारतीय दंत्य परिषद् संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007" में निम्न अंतःस्थापन/उपांतरण/विलोपन/प्रतिस्थापन उसमें यथानिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. अध्याय III खंड 1 में "स्नातकोत्तर छात्रों का चयन" शीर्षक के अधीन निम्न का विलोपन किया जाएगा और उसे निम्नानुसार विलोपित तथा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अम्बर्थी के चयन की क्रियाविधि निम्नानुसार होगी:

- (1) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता-एवं-प्रवेश परीक्षा नामक एक एकल पात्रता-एवं-प्रवेश परीक्षा होगी। राष्ट्रीय पात्रता-एवं-प्रवेश परीक्षा का समग्र अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारतीय दंत्य परिषद् में अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा चयनित किसी अन्य प्राधिकारी में निहित होगा। तथापि, भारतीय दंत्य परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता-एवं-प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए संगठन/संगठनों का चयन करेगी।
- (2) किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र होने के वास्ते अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-एवं-प्रवेश परीक्षा में 50वें शतमक (परसेंटाइल) पर न्यूनतम अंक प्राप्त करें। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को 40वें शतमक पर न्यूनतम अंक प्राप्त

होंगे। जैसाकि नीचे धारा (5) में उपबंधित है ऐसे अभ्यर्थियों के मामले जो शरीर के निचले अंगों में गतिक निःशक्तता से पीड़ित हैं न्यूनतम अंक 45वें शतमक पर होंगे। शतमक का निर्धारण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर किया जाएगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पर्याप्त संख्या में किसी शैक्षणिक सत्र के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा में यथानिर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय सरकार, भारतीय दंत्य परिषद के परामर्श से अपने विवेकानुसार संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों को घटा सकती है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार घटाए गए अंक केवल उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

- (3) चिकित्सा कालेजों/संस्थानों में संबंधित श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद यथालागू विधि के अनुसार होगा। राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय योग्यताक्रम सूची और साथ ही राज्य-वार योग्यताक्रम सूची तैयार की जाएगी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों का दाखिला केवल योग्यताक्रम सूचियों में से किया जाएगा।

लेकिन शर्त यह है कि जो अभ्यर्थी सरकारी/सरकारी प्राधिकरण की सेवा में हैं उनके मामले में योग्यताक्रम निर्धारण करते समय अंकों में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा दूरस्थ तथा/अथवा दुष्कर क्षेत्रों में की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की अंकों के दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा जोकि राष्ट्रीय पात्रता-एवं-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अधिक से अधिक 30 प्रतिशत तक होगा। दूरस्थ और दुष्कर क्षेत्र राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित होंगे।

- (4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो उपर्युक्त धारा (2) में यथानिर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में असफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं दिया जाएगा।
- (5) वार्षिक स्वीकृत दाखिला क्षमता में से 3 प्रतिशत सीटें ऐसे अभ्यर्थियों से भरी जाएंगे जिनके निचले अंगों की गतिक निःशक्तता 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच है।

लेकिन शर्त यह है कि यदि इस 3 प्रतिशत कोटे में से कोई सीट ऐसे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण जिनके निचले अंगों की गतिक निःशक्तता 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच हो बिना भरी रह गई हो तो 3 प्रतिशत के इस कोटा में बिना भरी रह गई ऐसी सीट, उसे सामान्य श्रेणी के उन अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक स्वीकृत सीट में शामिल किए जाने से पूर्व, ऐसे व्यक्तियों से भरी जाएगी जिनके निचले अंगों की गतिक निःशक्तता 40 से 50 प्रतिशत के बीच होगी।

और आगे शर्त यह है कि यह समूची प्रक्रिया प्रत्येक दंत्य कालेज/संस्थान द्वारा दाखिलों के लिए सांविधिक समय-सूची के अनुसार पूरी की जाएगी।

- (6) गैर-सरकारी दंत्य कालेजों/संस्थानों में कुल सीटों में से 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) सीटें राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा भरी जाएंगी और बाकी 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) सीटें संबंधित दंत्य कालेज/संस्थान द्वारा राष्ट्रीय पात्रता-एवं-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के आधार पर भरी जाएंगी।
- (7) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा में नियुक्त ऐसे दंत्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने दूरस्थ तथा/अथवा दुष्कर क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद दंत्य चिकित्सा अधिकारियों को राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित दूरस्थ तथा/अथवा दुष्कर क्षेत्रों में दो वर्षों के लिए और सेवा करनी होगी।
- (8) विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राधिकारी दाखिले की प्रक्रिया इस तरह से आयोजित करेंगे कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण की प्रक्रिया प्रतिवर्ष 2 मई से शुरू हो जाए। इस प्रयोजन के लिए वे डीसीआई विनियम, 2006 के साथ संलग्न और समय-समय पर यथासंशोधित समय-सूची का कड़ाई से पालन करेंगे।

- (9) 31 मई के बाद किसी भी शैक्षणिक सत्र में किसी भी स्थिति में छात्रों का कोई दाखिला नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय उपर्युक्त तारीख के बाद दाखिल किए गए छात्र का पंजीकरण नहीं करेंगे।
- (10) भारतीय दंत्य परिषद इस आशय के निदेश दे सकती है कि यदि ऐसा कोई छात्र अभिज्ञात किया जाता है जिसने दाखिले की समाप्ति की अंतिम तारीख के बाद दाखिला प्राप्त किया है उसे अध्ययन के पाठ्यक्रम से बर्खास्त कर दिया जाएगा अथवा ऐसे छात्र को प्रदत्त किसी भी दंत्य अर्हता को दंतचिकित्सक अधिनियम, 1948 के प्रयोजन के लिए मान्य अर्हता नहीं माना जाएगा। जो संस्थान उपर्युक्त के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद तथा डीसीआई या राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित दाखिले की शर्त का उल्लंघन करते हुए दाखिला देता है, उसके विरुद्ध डीसीआई द्वारा यथानिर्धारित कार्रवाई की जा सकेगी जिसमें संस्थान के आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्वीकृत दाखिला क्षमता में से इस तरह के दाखिलों की सीमा तक के समतुल्य सीटें अभ्यर्पित किया जाना शामिल होगा।

कर्मल (सेवानिवृत्त) डॉ. एस. के. ओझा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन III/4/98/12/असा]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम अर्थात् 'संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007' 21 नवंबर, 2007 के भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे और उन्हें दिनांक 20.8.2008 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2012

No.DE-22-2012.— In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Amendments to the existing principal Revised MDS Course Regulations, 2007, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 21st November, 2007:—

1. **Short title and commencement:-**

- (i) These Regulations may be called the Dental Council of India Revised MDS Course (2nd Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette from the academic session 2013-14.

2. In the "Dental Council of India Revised MDS Course Regulations, 2007", the following **insertions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-

3. In Section-I, Chapter III, under the heading "**SELECTION OF POSTGRADUATE STUDENTS**:", following **shall be deleted and substituted** as under:-

PROCEDURE FOR SELECTION OF CANDIDATE FOR POSTGRADUATE COURSES SHALL BE AS FOLLOWS:

- (1) There shall be single eligibility-cum-entrance examination namely "National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to Postgraduate Medical Courses" in each academic year. The overall superintendence, direction and control of

National Eligibility-cum-Entrance Test shall vest with Dental Council of India or any other authority selected by Central Government. However, Dental Council of India with the previous approval of the Central Government shall select organizations to conduct "National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to Postgraduate courses".

- (2) In order to be eligible for admission to any postgraduate course in a particular academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in "National Eligibility-cum-Entrance Test for Postgraduate Courses" held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates as provided in clause (5) below with locomotory disability of lower limbs, the minimum marks shall be at 45th percentile. The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All-India common merit list in "National Eligibility-cum-Entrance Test for Postgraduate courses".

Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test held for any academic year for admission to Post Graduate Courses, the Central Government in consultation with Dental Council of India may at its discretion lower the minimum marks required for admission to Post Graduate Course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said academic year only.

- (3) The reservation of seats in medical college/Institutions for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in States/Union Territories. An all India merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test and candidates shall be admitted to Postgraduate courses from the said merit lists only.

Provided that in determining the merit of candidates who are in service of government/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/Competent Authority as an incentive at the rate of 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas upto the maximum of 30% of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test. The remote and difficult areas shall be as defined by State Government/Competent authority from time to time.

- (4) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as prescribed in Clause (2) above shall be admitted to any Postgraduate courses in the said academic year.
- (5) 3% seats of the annual sanctioned intake capacity shall be filled up by candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%.

Provided that in case any seat in this 3% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 3% quota shall be filled up by persons with locomotory disability of lower limbs between 40% to 50% - before they are included in the annual sanctioned seats for General Category candidates.

Provided further that this entire exercise shall be completed by each dental college/institution as per the statutory time schedule for admissions.

- (6) In non-Governmental Dental College/Institutions, 50% (Fifty Percent) of the total seats shall be filled by State Government or the Authority appointed by them, and the remaining 50% (Fifty Percent) of the seats shall be filled by the concerned dental college/institutions on the basis of the merit list prepared as per the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test.
- (7) 50% of the seats in Post Graduate Diploma Courses shall be reserved for Dental Officers in the Government service, who have served for at least three years in remote and/or difficult areas. After acquiring the PG Diploma, the Dental Officers shall serve for two more years in remote and/or difficult areas as defined by State Government/Competent authority from time to time.
- (8) The Universities and other authorities concerned shall organize admission process in such a way that teaching in postgraduate courses starts by 2nd May each year. For this purpose, they shall strictly adhered to the time schedule annexed with DCI Regulations, 2006 as amended from time to time.
- (9) There shall be no admission of students in respect of any academic session after beyond 31st May for postgraduate courses under any circumstances. The Universities shall not register any student admitted beyond the said date.
- (10) The Dental Council of India may direct, that any student identified as having obtained admission after the last date for closure of admission be discharged from the course of study, or any dental qualification granted to such a student shall not be a recognized qualification for the purpose of the Dentists Act, 1948. The institution which grants admission to any student after the last date specified for the same, and in violation of condition of admissions as prescribed by DCI or by the State Government/University/any Competent Authority of respective State Government, shall also be liable to face such action as may be prescribed by DCI including surrender of seats equivalent to the extent of such admission made from its sanctioned intake capacity for the succeeding academic year.

Col. (Retd.) Dr. S. K. OJHA, Officiating Secy.

[ADVT. III/4/98/12/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Revised MDS Course Regulations, 2007" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 21st November, 2007, and amended vide Notification dated 20.08.2008.

1974 GI/12-2